रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1578] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2014/श्रावण 16, 1936
No. 1578] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2014/SHRAVANA 16, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2014

का.आ. 2008(अ).—केन्द्रीय सरकार, मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 13 जनवरी, 2014 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा ख में, 'अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में' शीर्ष के नीचे मद संख्या (i) और (ii) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(i) श्री अर्जुन राम मेघवाल,
संसद सदस्य (लोक सभा)

(ii) श्री सदाशिव किसन लोखंडे,
संसद सदस्य (लोक सभा)"।

[फा. सं. 19014/66/13-एससीडी-IV]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 605(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2014

S.O. 2008(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 29 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment number S.O. 89(E), dated the 13th January, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 13th January, 2014, namely:—

In the said notification, in paragraph B, under the heading 'In pursuance of clause (f) of sub-section (2) of Section 29 of the Act', for item numbers (i) and (ii) and the entry relating thereto, the following item numbers and entry shall respectively be substituted, namely:—

"(i) Shri Arjun Ram Meghwal,
Member of Parliament (Lok Sabha)

(ii) Shri Sadashiv Kisan Lokhande,
Member of Parliament (Lok Sabha)".

[F. No. 19014/66/13-SCD-IV]

SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 89(E), dated the 13th January, 2014 and subsequently amended *vide* number S.O. 605 (E), dated the 28th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.